

अनुलग्नक- II

<p>स्थायी अनुदेश (एसआई) के माध्यम से अपने एसबीआई खाते से 01.03.2020 से 31.05.2020 के दौरान देय टर्म लोन की किस्तों/ईएमआई का स्थगन कराने वाले ग्राहकों को भेजे जाने वाले एसएमएस का प्रारूप।</p>	<p>स्थायी अनुदेश (एसआई) के माध्यम से अपने एसबीआई खाते से 01.03.2020 से 31.05.2020 के दौरान देय टर्म लोन की किस्तों/ईएमआई का स्थगन न कराने वाले ग्राहकों को भेजे जाने वाले एसएमएस का प्रारूप।</p>
<p>'कोविड-19 के कारण ऋण खाता संख्या****1234 के लिए ईएमआई की वसूली की एसआई 31.05.2020 तक रोक दी गई है। 31.08.2020 तक यदि उसे स्थगित कराने के/की आप इच्छुक हैं तो कृपया 5 दिनों में <VMN> को YES एसएमएस भेजें। परंतु ब्याज की देनदारी बढ़ेगी। किसी से भी अपना ओटीपी शेयर न करें क्योंकि बैंक कभी इसे नहीं पूछता है।</p>	<p>'कोविड-19 के कारण यदि आप ऋण खाता संख्या ****1234 के लिए ईएमआई की वसूली की एसआई जून-अगस्त 2020 तक के महीनों के लिए रोकना चाहते हैं तो कृपया 5 दिनों में <VMN> को YES एसएमएस भेजें। परंतु ब्याज की देनदारी बढ़ेगी। किसी से भी अपना ओटीपी शेयर न करें क्योंकि बैंक कभी इसे नहीं पूछता है।</p>

<p>01.06.2020 से 31.08.2020 तक देय टर्म लोन की किस्त/ईएमआई के स्थगन के लिए एनएसीएच मैसेज के माध्यम से अन्य बैंकों में रखे हुए खाते से वसूली का स्थगन चाहने वाले ग्राहकों के लिए एसएमएस का प्रारूप</p>
<p>'कोविड-19 के कारण यदि आप अपने ऋण खाता संख्या ****1234 में जून से अगस्त 2020 महीने तक एनएसीएच से वसूल की जाने वाली ईएमआई को स्थगित करने के/की इच्छुक हैं तो कृपया 5 दिन में '<VMN> को STOP1234' एसएमएस भेजें। परंतु ब्याज की देनदारी बढ़ेगी। किसी से भी अपना ओटीपी शेयर न करें क्योंकि बैंक कभी इसे नहीं पूछता है।</p>